न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।

सी.एन.आर.नं.–UPGZ100019332023,
वाद संख्या–3703/2023,
सरकार बनाम अमन शर्मा आदि,
मु०अ०सं०–234/2023,
धारा–379 भा०दं०सं० 1860,
थाना–जी०आर०पी० गाजियाबाद।

दिनांक–19.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **धीरज उर्फ पंकज पुत्र मंगत सिंह,** निवासी–फ्लैट नं०–393, तुलसी निकेतन भोपरा, थाना–टीलामोड, जिला–गाजियाबाद को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार, गाजियाबाद से न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त उपरोक्त की तरफ से जुर्म स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियुक्त ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त की उपरोक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **धीरज उर्फ पंकज पुत्र मंगत सिंह,** द्वारा स्वेच्छा से की गयी उपरोक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा– 379 भा०दं०सं० 1860 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली पुन: पेश हो।

(शोभित राय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।
J.O. Code – UP 2498

पत्रावली पुन: पेश हुयी। अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर सुना।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्धन व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त के बुजुर्ग माता पिता है जो आये दिन बीमार रहते है एवं जो प्रार्थी पर पूर्णत: आश्रित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें को चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त दिनांक–11.08.2023 से लगातार जिला कारागार में निरुद्ध है। अत: प्रार्थी/अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपना जुर्म स्वीकार किया जा रहा है। अभियुक्त दिनांक–11.08.2023 से लगातार जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त की विशेष परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को 11 माह के साधारण कारावास की सजा व न्यूनतम अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **धीरज उर्फ पंकज पुत्र मंगत सिंह,** को धारा– 379 भा०दं०सं० 1860 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये 11 माह के साधारण कारावास की सजा व अंकन 1000/– रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनांक–19.06.2024

(शोभित राय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।
J.O. Code –UP 2498